

बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र०।

- बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (DBT) प्रक्रिया का आरम्भ वर्ष 2021-22 से किया गया।
- वर्ष 2021-22 में परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को दो जोड़ी यूनीफॉर्म हेतु रू० 600/- स्वेटर हेतु रू० 200/- जूता मोजा हेतु रू० 125/- एवं स्कूल बैग हेतु रू० 175/- की दर से कुल रू० 1100/- प्रति विद्यार्थी दिये गये।
- वर्ष 2022-23 से परिषदीय विद्यालय के विद्यार्थियों को स्टेशनरी हेतु रू० 100/- की अतिरिक्त धनराशि को जोड़ते हुए प्रति विद्यार्थी रू० 1200/- की धनराशि दी जा रही है।
- सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी दो जोड़ी यूनीफॉर्म हेतु रू० 600/- एवं स्कूल बैग हेतु रू० 175/-, कुल रू० 775/- की धनराशि दी जा रही है।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बालिकाओं को दो जोड़ी यूनीफॉर्म हेतु प्रति बालिका रू० 600/- की धनराशि दी जा रही है।
- समाज कल्याण द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी स्कूल बैग हेतु रू० 175/- की धनराशि दी जा रही है।

—————